तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज वत्ती वगैराह बनाम मानसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट ने उनकी ओर से सी.पी.सी की धारा 151 व 152 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2023 में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2023 जो कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र के आधार पर पारित किया गया है, में मानसिंह रैस्पोडेन्ट की मृत्यु दिनांक 29.12.2022 को हो गई थी। मानसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया है। उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.02.2023 मृतक मानसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिए बिना रैस्पोडेन्ट मानसिंह के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है। जबकि मृतक व्यक्ति के पक्ष/विपक्ष में पारित निर्णय शून्य प्रभाव लिए हुए है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी को प्रतिप्रेषित किया जावे। वकील अपीलान्ट ने उक्त तर्क के समर्थन में डी.एन.जे. 2023 (1) रैवन्यू पेज 197 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान किसी भी पक्षकार की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के विरूद्ध अथवा पक्ष में कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इस तरह के निर्णय को अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए माना गया है। अतः प्रकरण मृतक मानसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने के बाद पुनः सुनवाई किए जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी को प्रेषित किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि मृतक मानसिंह के वारिसान को अदालत हाजा में रिकार्ड पर लिया जा चुका है तथा अपीलान्ट की ओर से रैस्पोडेन्ट मानसिंह के वारिसान को पक्षकार बनाते हुए संशोधित शीर्षक भी पेश किया जा चुका है। अतः प्रकरण मानसिंह के वारिसान को पक्षकार मानते हुए पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर डी.एन.जे 2023 (1) रैवन्यू पेज 197 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का अवलोकन किया गया वकील अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2023 के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि मानसिंह जो कि अदालत मातहत में प्रार्थी था की मृत्यु दिनांक 29.12.2022 को हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.02.2023 को पारित किया गया है। जिसके द्वारा मानसिंह व राजेन्द्र की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड व नक्शे में दुरूस्त किए जाने का आदेश दिया है। अदालत मातहत की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल कार्यवाही में प्रार्थी मानसिंह की मृत्यु हो जाने के संबंध में किसी तरह का कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थी/ अप्रार्थीगण द्वारा नहीं दिया गया, परन्तु अदालत हाजा में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि अदालत मातहत में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में रैस्पोडेन्ट मानसिंह प्रार्थी था, जिसकी मृत्यु दिनांक 29.12.2022 को होने की पुष्टि मृत्यु प्रमाण पत्र से हो रही है तथा वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर डी.एन.जे. 2023 (1) रैवन्यू पेज 197 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण के विचारण के	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज वत्ती वगैराह बनाम मानसिंह व अन्य
14.08.2023	दौरान पक्षकार की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के विरुद्ध/पक्ष में पारित निर्णय को शून्य माना गया है तथा अदालत मातहत की ओर से पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय किए जाने हेतु प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त से सादर सहमत होते हुए उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी की ओर से पारित आदेश दिनांक 14.02.2023 के गुणावगुण पर विचार किए बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.02.2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पहाडी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रैस्पोडेन्ट मानसिंह जो कि अदालत मातहत में प्रार्थी था, के विधिक वारिसान जिनको अदालत हाजा द्वारा रिकार्ड पर लिया जा चुका है, को व अन्य सभी पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पुनः नऐ सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 14.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सॉवर मल वर्मा) संभागीय आयुक्त, भरतपुर